सप्तदश माला, खंड 23, अंक 13 **बुधवार, 15 मार्च, 2023**

24 फाल्गुन, 1944 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

ग्यारहवां सत्र
(सत्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 23 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

संपादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोकसभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

बिशन कुमार
निदेशक

रणविजय कुमार राव
संयुक्त निदेशक

अमित कुमार
संपादक

© 2023 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence**) आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

सप्तदश माला, खंड 23, ग्यारहवां सत्र, 2023 / 1944 (शक)

अंक 13, बुधवार, 15 मार्च, 2023 / 24 फाल्गुन, 1944 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रश्नों के लिखित उत्तर	13
तारांकित प्रश्न सं 201 से 220	13
अतारांकित प्रश्न सं. 2301 से 2530	13
सभा पटल पर रखे गए पत्र	14-20
बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समिति	
(एक) प्रतिवेदन	21
(दो) साक्ष्य	21
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	22-23
(एक) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन	

मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के 113वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति

डॉ. जितेंद्र सिंह 22

(दो) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'एक जिला एक उत्पाद (ओ.डी.ओ.पो.) सहित जिला निर्यात केंद्र (डी.ई.एच.) पहलों के कार्यान्वयन' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 170वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री सोम प्रकाश 23

कार्य मंत्रणा समिति के 41वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव 24

अंतर-सेना संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023 25-26

नियम 377 के अधीन मामले 27-51

(एक) ओखा-देहरादून रेल सेवा का परिचालन कोविड काल से पूर्व की तरह बहाल किए जाने के बारे में

श्री मोहनभाई कुंडारिया 27-28

(दो) शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खान के चित्रों को दर्शाए जाने की आवश्यकता

श्री अरुण कुमार सागर 29

(तीन) आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन के बारे में

डॉ. ढाल सिंह बिसेन 30

(चार) फसल बीमा योजना के तहत राजस्थान में 'पाला' सहित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में किसानों द्वारा उत्पादित फसलों को बीमा कवर प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री सुमेधानन्द सरस्वती 31

(पाँच) आशोकनगर जिला मुख्यालय में जिला अस्पताल का मेडिकल कॉलेज के रूप में उन्नयन करने और गुना जिला मुख्यालय में एम्स स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री कृष्णपालसिंह यादव 32

(छः) गोड्डा/देवघर में सैनिक स्कूल की स्थापना किए जाने के बारे में

डॉ. निशिकांत दुबे 33

(सात) उत्तर प्रदेश के महोबा में एक एम्स स्थापित किए जाने की आवश्यकता

कुँवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल 34

(आठ) गंगानगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र अथवा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में

श्री निहाल चन्द चौहन 35

(नौ) रायगंज टोल प्लाजा पर मीडियाकर्मियों के लिए रियायती टोल के बारे में

सुश्री देबाश्री चौधरी 36

(दस) पारंपरिक शिल्प को शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने के बारे में

श्री विवेक नारायण शेजवलकर 36-37

(ग्यारह) पश्चिम बंगाल में मालदा टाउन रेलवे स्टेशन को बेहतर रेल संपर्क प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री खगेन मुर्मु 37

(बारह) देश में प्रभावी 4जी नेटवर्क के बारे में

श्री रवि किशन 38

(तेरह) केरल के वडक्कनचेरी में रेलवे अंडरपास के निर्माण के बारे में

कुमारी राम्या हरिदास 39

(चौदह) गंभीर रोगियों की चिकित्सा के लिए यात्री विमान का उपयोग करने के लिए हवाई किराए की समीक्षा किए जाने के बारे में

श्री कुलदीप राय शर्मा 40

(पंद्रह) ईसाई अल्पसंख्यकों के खिलाफ कथित हिंसा के बारे में

एडवोकेट डीन कुरियाकोस 41

(सोलह) पत्तनों की दक्षता बढ़ाए जाने की आवश्यकता

डॉ. कलानिधि वीरास्वामी 42

(सत्रह) पश्चिम बंगाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान के लिए निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती साजदा अहमद 43

(अट्ठारह) उच्च शिक्षण संस्थाओं में अ.जा../अ.ज.जा./अ.पि.व. कल्याण और शिकायत निवारण समिति' का गठन किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती अपरूपा पोद्दार 44

(उन्नीस) आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के ओंगोले में एक ई.सी.एच.एस. रेफरल अस्पताल की स्वीकृति के बारे में

श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी 45

(बीस) पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील तटवर्ती क्षेत्रों के संरक्षण के बारे में

श्री बेल्लाना चन्द्र शेखर 46

(इक्कीस) एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. (मनरेगा योजना) के अंतर्गत मजदूरी और कार्य दिवस बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री कौशलेन्द्र कुमार 47

(बाईस)एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.(मनरेगा योजना) के अंतर्गत गारंटीकृत मजदूरी रोजगार में वृद्धि किए जाने के बारे में

श्री के. नवासखनी 48

(तेईस) माल और सेवा कर के अंतर्गत वार्षिक विवरणी दाखिल करने के बारे में

श्री जयदेव गल्ला 49

(चौबीस) बी.एस.एन.एल कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन किए जाने के बारे में

श्री पी.आर. नटराजन 50-51

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री ओम बिरला

सभापति तालिका

श्रीमती रमा देवी

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

श्री कोडिकुन्नील सुरेश

श्री ए. राजा

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी

श्री भर्तृहरि महताब

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार

महासचिव

श्री उत्पल कुमार सिंह

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

<u>बुधवार, 15 मार्च, 2023 / 24 फाल्गुन, 1944 (शक)</u>

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुए*]

[हिंदी]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल, प्रश्न संख्या 201

श्री सी. पी. जोशी जी।

... (व्यवधान)

<u>पूर्वाह्न 11.00 बजे</u>

इस समय, एडवोकेट ए.एम. आरिफ, श्री टी.एन. प्रथापन, श्रीमती कविता मलोथू और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यह सदन चर्चा और संवाद के लिए है। हम यहां पर नीतियों की बात करें, पॉलिसी की बात करें, अच्छी चर्चा हो, जन कल्याण की चर्चा हो, यह सदन इसके लिए बना है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मेरा आपसे आग्रह है कि अगर हम जनता का कल्याण करना चाहते हैं और इस सदन को लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कम से कम सदन पर टिप्णी न करें। यह आपका लोकतंत्र का मंदिर है और हम सबकी आस्था का केन्द्र है। आपको प्रयास करना चाहिए कि सदन के अंदर और सदन के बाहर कभी भी संसद के ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों से फिर से आग्रह कर रहा हूं, यह सदन चर्चा, नीतियों और पॉलिसी पर चर्चा के लिए है। आप नीतियों पर बात करें, पॉलिसी पर बात करें और मुद्दों पर बात करें। इस तरीके से तख्तियां लाना उचित नहीं है। मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, यह सदन तखितयां लाने

के लिए नहीं है, यह सदन मुद्दों पर चर्चा के लिए है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप सब अपनी-अपनी सीट्स पर जाइए। मैं आपको बोलने के लिए पर्याप्त समय और अवसर दूंगा। यह गलत तरीका है। मैं आपसे आग्रहपूर्वक कह रहा हूं कि सदन में कभी भी तखितयां और नारेबाजी अलाऊ नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री पीयूष गोयल जी।

... (व्यवधान)

वाणिज्य और उद्योग मंत्री; उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री पीयूष गोयल): अध्यक्ष जी, यह बहुत गंभीर विषय है। ... (व्यवधान) इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ... (व्यवधान) एक सदन का मेंबर विदेश में जाकर भारत के सदन का अपमान करता है और पार्लियामेंट का अपमान करता है। ... (व्यवधान) वह जब तक माफी नहीं मांगते तब तक इन सभी के ऊपर जिम्मेदारी आरोपित की जाए। अगर इनको कोई अपमान नहीं लगता है और ये इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो मेरा मानना है कि जो तख्तियां लाए हैं, उनको सस्पेंड किया जाए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यह सदन है। तख्तियां और नारेबाजी करने का अधिकार लोकतंत्र में सदन के बाहर है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या यह आपके लिए उचित है और क्या मेंबर्स का यह कंडक्ट उचित है? प्लीज, माननीय सदस्यगण, आप सब अपनी-अपनी सीट्स पर जाकर बैठें।

... (व्यवधान)

*<u>प्रश्नों के लिखित उत्तर</u>

(तारांकित प्रश्न सं. 201 से 220 तक

अतारांकित प्रश्न सं. 2301 से 2530)

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

.....(व्यवधान)

<u>पूर्वाह्न 11.04 बजे</u>

तत्पश्चात् *लोक सभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

---

* **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।**
https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न दो बजे पुन: समवेत हुई।

(श्री भर्तृहरि महताब *पीठासीन हुए*)

... (व्यवधान)

अपराह्न 2.0 ½ बजे

इस समय, श्री एस. वेंकटेशन, श्री रवनीत सिंह, श्री बी. मणिक्कम टैगोर और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

... (व्यवधान)

अपराह्न 2.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

माननीय सभापति:अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

मद सं 2, श्री दानवे रावसाहेब दादाराव ।

... (व्यवधान)

[हिंदी]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव): माननीय सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हू:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, कोथागुडम के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, कोथागुडम का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रकमहालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) कोयला मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9117/17/23)

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश): महोदय, श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9118/17/23)

(3) (एक) तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9119/17/23)

(5) विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 19 की उप-धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का. आ.383(अ) जो 24 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आई.टी.सी. (एच.एस.) 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) में यूरिया (एक्जिम कोड 31021000) की आयात नीतिगत शर्त में कतिपय संशोधनों को अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ.678(अ) जो 14 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आई.टी.सी. (एच.एस.) 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) में अध्याय-08 के आईटीसी (एचएस) कोड 080280 और अध्याय-21 के आई.टी.सी. (एचएस) कोड 21069030 की आयात नीति और नीतिगत शर्त में कतिपय संशोधनों को अनुसूचित किया गया है।

(तीन) का.आ.796(अ) जो 21 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा काजू गिरी (टूटी हुई/साबुत) की आयात नीतिगत शर्त में कतिपय संशोधनों को अधिसूचित किया गया है।

(चार) का.आ.679(अ) जो 14 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बायोमास की निर्यात नीति में कतिपय संशोधनों को अधिसूचित किया गया है।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9120/17/23)

... (व्यवधान)

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9121/17/23)

(3) (एक) राष्ट्रीय जूट बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 20202021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय जूट बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2020- 2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9122/17/23)

(5) (एक) द इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) द इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9123/17/23)

(7) (एक) वस्त्र समिति, मुंबई के वर्ष 20202021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वस्त्र समिति, मुंबई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9124/17/23)

(9) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं का.आ. 6172(अ) जो 30 दिसंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 27 दिसंबर, 2021 की अधिसूचना सं. का.आ. 5421(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9125/17/23)

... (व्यवधान)

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नेशनल इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉपोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 20212022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9126/17/23)

... (व्यवधान)

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवुसिंह चौहान): महोदय, मैं दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय की वर्ष 20232024 की योजना के लिए निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 9127/17/23)

———————

... (व्यवधान)

अपराह्न 2.02½ बजे

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समिति

(एक) प्रतिवेदन

[हिंदी]

श्री सी. पी. जोशी (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति जी, मैं बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

... (व्यवधान)

(दो) साक्ष्य

श्री सी. पी. जोशी: माननीय सभापति जी, मैं बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समिति के साक्ष्य का अभिलेख सभा पटल पर रखता हूं।

———————

... (व्यवधान)

अपराह्न 2.03 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

[अनुवाद]

(एक) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के 113वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति*

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): महोदय, मैं प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के 113वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखता हूँ।

...(व्यवधान)

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9115/17/23

<u>अपराह्न 2.03½ बजे</u>

(दो) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपो) सहित जिला निर्यात केंद्र(डीईएच) पहलों के कार्यान्वयन' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 170वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश): महोदय, श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल की ओर से, मैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'एक जिला एक उत्पाद (ओ.डी.ओ.पो.) सहित जिला निर्यात केंद्र (डी.ई.एच.) पहलों के कार्यान्वयन' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 170वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

... (व्यवधान)

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9115/17/23

अपराह्न 2.04 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के 41वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) महोदय, श्री प्रह्लाद जोशी की ओर से, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ:-

“कि यह सभा 14 मार्च, 2023 को सभा को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 41वें प्रतिवेदन से सहमत है। "

... (व्यवधान)

[हिंदी]

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 14 मार्च, 2023 को सभा को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 41 वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

<u>अपराह्न 2.05 बजे</u>

अंतर-सेना संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023[1]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (एडवोकेट अजय भट्ट): महोदय, श्री राजनाथ सिंह की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सेना कार्मिक, जिनको वायु सेना अधिनियम, 1950, सेना अधिनियम, 1950 और नौसेना अधिनियम, 1957 लागू होता है, जो अनुशासन बनाए रखने और अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अपनी कमान के अधीन सेवा कर रहे हैं या उससे संलग्न हैं, के संबंध में अंतर-सेना संगठनों के चीफ कमांडर या कमांड आफिसर को सशक्त करने के लिए और उससे संलग्न या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए । ...

(व्यवधान)

[हिंदी]

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि सेना कार्मिक, जिनको वायु सेना अधिनियम, 1950, सेना अधिनियम, 1950 और नौसेना अधिनियम, 1957 लागू होता है, जो अनुशासन बनाए रखने और अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अपनी कमान के अधीन सेवा कर रहे हैं या उससे संलग्न हैं, के संबंध में अंतर-सेना संगठनों के चीफ कमांडर या कमांड आफिसर को सशक्त करने के लिए और उससे संलग्न या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

... (व्यवधान)

---

[1] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 15.03.2023 में प्रकाशित।

[अनुवाद]

एडवोकेट अजय भट्ट: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

[हिंदी]

माननीय सभापति : मेरा आप सभी से निवेदन है। आपके बारे में कुछ कहना है, सभी को बताना है और पूरे हाउस को भी बताना है कि हम विधि-विधान कार्य करने के लिए बैठे हैं।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : लेजिस्लेटिव बिजनेस ट्रांजैक्ट करने के लिए यह पार्लियामेंट है। इस सिलसिले में मेरा आप सभी से निवेदन है कि हाउस में ऑर्डर लाने के लिए सिर्फ चेयर ही एकमात्र व्यवस्था नहीं है, बल्कि हर-एक मेंबर को भी यह काम करने की आवश्यकता है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: माननीय सदस्यों, माननीय अध्यक्ष महोदय को कुछ सदस्यों की ओर से विभिन्न मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया है।

... (व्यवधान)

<u>अपराह्न 2.06 बजे</u>

नियम 377* के अधीन मामले*

माननीय सभापति: कई माननीय सदस्य नियम 377 के अधीन अपने मामले प्रस्तुत करना चाहते हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे नियम 377 के अधीन मामलों से संबंधित अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखें। जिन सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखना चाहते हैं, वे अब व्यक्तिगत रूप से मामलों का पाठ सभा पटल पर सौंप सकते हैं। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा गया माना जाएगा जिनका पाठ निर्धारित समय के भीतर पटल पर प्राप्त हो गया हो तथा शेष मामलों को व्यपगत माना जाएगा।

…(व्यवधान)

(एक) ओखा-देहरादून रेल सेवा के परिचालन को कोविड काल से पहले की अवधि के समान बहाल किए जाने के बारे में

[हिंदी]

श्री मोहनभाई कुंडारिया (राजकोट): मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण निम्नलिखित विषय की ओर आकर्षित करता हूँ।

ओखा-देहरादून एक्सप्रेस कोविड से पहले सप्ताह में दो बार, अधिक भार क्षमता के साथ संचालित हुआ करती थी । लेकिन अब कोविड के पश्चात इस ट्रेन का संचालन सप्ताह में एक बार किया गया है जिस कारण हरिद्वार और ऋषिकेश जाने वाले सौराष्ट्र के तीर्थयात्रियों को भारी परेशानी हो रही है।

इस ट्रेन को पूर्ववत रूप से संचालित करने के साथ सप्ताह में तीन बार संचालित करने के लिए जन प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।

---

* सभा पटल पर रखे गए माने गए।

अत: मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि जनहित में इस ट्रेन को पूर्ववत रूप से संचालित करते हुए सप्ताह में तीन बार संचालित करने हेतु शीघ्र अनुमोदन प्रदान करें।

(दो) शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफ़ाक उल्ला खान के चित्र लगाए जाने की आवश्यकता

श्री अरूण कुमार सागर (शाहजहाँपुर): उत्तर प्रदेश राज्य के लोकसभा क्षेत्र शाहजहांपुर को शहीदों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहांपुर संसदीय क्षेत्र भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खान की जन्मस्थली है तथा इन वीर सपूतों ने देश को गुलामी की जंजीरों से आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ऐसे क्रांतिकारी के कारनामों से भरा हुआ है, जिन्होंने अपनी चिंगारी से युवाओं को रोशन किया है और क्रांति तथा जग चेतन जगा कर देश को एक नई दिशा दी है।

आज रेल परिवहन देश का एक महत्वपूर्ण साधन है। देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जाने हेतु लोग रेल की मदद लेते हैं। देश के अलग-अलग राज्यों में कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन भी हैं, जिनके नाम क्रांतिकारी या स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखे गए हैं। दरअसल, देश की आजादी में कई लोगों ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया, लेकिन फिर भी लोग इनके बारे में कम जानते हैं। यह हम सभी के लिए प्रसन्नता की बात है कि हमारे देश के रेलवे स्टेशन ऐसे ही सेनानियों व उनके त्याग को हमेशा जिंदा रखने में मदद करते हैं।

मेरा अनुरोध है कि देश की 75 वीं वर्षगांठ और अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर शाहजहांपुर संसदीय क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खान की स्मृति और सम्मान में शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर इन सभी को उनकी चित्रकारिता से संयोजित करवा कर संदेह कारण सौंदर्यीकरण किए जाने हेतु समुचित कार्यवाही की जाए।

(तीन) आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन के बारे में

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): भारत सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निर्धन-गरीब-वंचित वर्ग के लोगों को 5 लाख रूपये तक का इलाज करने के लिए सारी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रही है एवं उसका भार सरकार उठा रहीं है किंतुएनएचए की रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत योजना से संबद्ध करीब 7500 अस्पतालों ने संबद्धता के बाद से आज तक एक भी मरीज भर्ती नहीं किया है। जो अस्पताल इलाज करते हैं उन्हे भुगतान न मिलने के कारण योजना का पूरा लाभ हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है। संबधित अस्पतालों की इस लापरवाही के कारण अनेक मरीज इलाज के लिए परेशान होते हैं तथा उन्हें अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी सहन करना पड़ता है। जो अस्पताल इलाज करते हैं उन्हें भुगतान नहीं होता। भारत सरकार द्वारा भुगतान कर दिया जाता है, किन्तु राज्य सरकारों द्वारा इन अस्पतालों को भुगतान नहीं किया जाता। मेरा अनुरोध है कि ऐसे अस्पताल जिन्होंने आज तक एक भी मरीज को भर्ती नहीं किया है उनकी संबद्धता निरस्त की जाए तथा जो नए अस्पताल इस योजना से जुड़ना चाहते हैं उनको रजिस्टर्ड किया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा हितग्राही लाभान्वित हो सके। राज्य सरकारों को इन अस्पतालों के भुगतान करने के निर्देश जारी करने का अनुरोध है।

(चार) फसल बीमा योजना के तहत राजस्थान में 'पाला' सहित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में किसानों द्वारा उत्पादित फसलों को बीमा कवर प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): मैं प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना हेतु राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की कमियों को प्रकाश में लाना चाहता हूँ। अधिसूचना के पेज 4 व 5 पर मौसम आधारित जोखिमो का विवरण है जिनसे फसल के नुकसान होने पर सम्बंधित बीमा कंपनी द्वारा क्लेम जारी किया जाता है। इनमे 'पाला' शब्द का जिक्र नहीं है जबकि राजस्थान के बहुत हिस्सों का पारा शून्य से भी नीचे जाता है । भारत सरकार द्वारा इस योजना हेतु जारी ऑपरेशनल गाइडलाइन्स के पेज 55 पर पाले से होने वाले नुकसान को मौसम आधारित जोखिमो मे शामिल किया गया है और सीकर जिले की रामगढ़ शेखावाटी व फतेहपुर तहसील मे किसानो की रबी फसलो मे सिर्फ गेहूं का बीमा किया जा रहा है। जबकि उक्त तहसील मे किसानो द्वारा चन्ना व सरसो का भी उत्पादन किया जाता है व जिला स्तरीय तकनीकी कमेटी की सिफारिश पर बैंको द्वारा यहां के किसानो को इन फसलो हेतु केसीसी की सुविधा दी जा रही है। बीमा कंपनी किसानो को क्लेम से वंचित करने के लिए इन फसलो को बीमा के दायरे से बाहर रख रही है।

मेरा सरकार से निवेदन है कि कृपया इन कमियों को संज्ञान मे लेकर पूरा करे ताकि किसानो को इस योजना का पूरा लाभ मिलता रहे ।

(पाँच) आशोकनगर जिला मुख्यालय में जिला अस्पताल का मेडिकल कॉलेज के रूप में उन्नयन करने और गुना जिला मुख्यालय में एम्स स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री कृष्णपालसिंह यादव (गुना): मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दो जिले गुना और अशोकनगर में व्यापक स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। गुना को भारत सरकार द्वारा आकांक्षी जिलों की सूची में भी शामिल किया गया है और अशोकनगर में वर्तमान में सिर्फ एक ही जिला अस्पताल है जहाँ प्रतिदिन मरीजों की संख्या बहुत अधिक रहती है जिसके कारण समय पर उनका उपचार नहीं हो पाता है।कोरोना महामारी के समय भी स्वास्थ्य सुविधाएं ना होने के कारण कई मरीज़ों की मृत्यु हो गई और गुना लोक सभा के लोगों को गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता है जिससे उन्हें असुविधा होती है। भविष्य में इस प्रकार की स्थिति का निवारण करने हेतु मेरा सरकार से निवेदन है कि अशोकनगर जिला मुख्यालय में जिला अस्पताल कोअपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिया जाए और प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के माध्यम से गुना जिला मुख्यालय मेंएम्स की स्थापना हेतु तत्काल स्वीकृति प्रदान की जाए जिससे मेरे लोक सभा क्षेत्र के निवासियों को मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहना पड़े और सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत का लाभ भी हर व्यक्ति तक पहुँच सके और गुना के समग्र विकास को गति मिले।

(छह) गोड्डा/देवघर में सैनिक स्कूल की स्थापना किए जाने के बारे में

[अनुवाद]

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): मैं सरकार का ध्यान सामान्य रूप से संथाल परगना क्षेत्र और विशेष रूप से गोड्डा और देवघर के क्षेत्रों के पिछड़ेपन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो कि मेरा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र है। प्राचीन काल से ही इस क्षेत्र को प्राचीन शिक्षा पद्धतियों और सामाजिक मानदंडों तथा रीति-रिवाजों के प्रचार-प्रसार में अग्रणी रहने वाला क्षेत्र माना जाता रहा है, इसके बावजूद भी इस क्षेत्र में शिक्षा की समग्र स्थिति की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है। गोड्डा/देवघर में सैनिक स्कूल स्थापित करने की मांग लगातार की जाती रही है जिससे कि इस क्षेत्र के लोग भी इस बात पर गर्व कर सकें कि उनके बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो रही है।

फरवरी 2016 में, तत्कालीन माननीय रक्षा मंत्री ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया था और क्षेत्र के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने गोड्डा/देवघर में सैनिक स्कूल की स्थापना किए जाने की घोषणा की थी। उक्त घोषणा के परिणामस्वरूप, रक्षा मंत्रालय द्वारा सैनिक स्कूल स्थापित करने की परियोजना को तुरंत स्वीकृति प्रदान की गई थी। तथापि, चिंता का विषय यह है कि तब से अब तक सात वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन इस परियोजना में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। अतः, मैं सरकार से इस परियोजना के कार्य को तेजी से पूरा करने का अनुरोध करता हूँ।

(सात) उत्तर प्रदेश के महोबा में एम्स की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[हिंदी]

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): बुंदेलखंड में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा राजमार्ग विकास, जलप्रबंधन, उद्योगों के विकास इत्यादि अनेक विकास के कार्य किए जा रहे हैं और बुंदेलखंड की स्थिति में सुधार आ रहा है। इन सब प्रयासों से बुंदेलखंड में पर्यटन विकास की संभावनाएं भी तेजी से बढ़ी है पर इस सभी पक्षों के विकास के उपरांत भी अभी भी स्वास्थ्य सुविधाओं विशेषकर गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु मरीज बुंदेलखंड के आसपास के इलाकों में जाते है। इनमें भी विशेषकर कैंसर और किडनी के रोगों के लिए उपचार के लिए अन्य क्षेत्रों में जाने वाले मरीजों की संख्या सर्वाधिक है। ये इलाज खर्चीले हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर (उ०प्र०) के अधिसंख्यक जन गरीब हैं और उनको ईलाज के लिए बड़े नगरों में भटकना भी पड़ता है। यद्यपि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इलाज के खर्च के लिए हर संभव सहायता प्रदान की जाती है परन्तु बड़े नगरों में इलाज के खर्च के अतिरिक्त अन्य व्यवहारिक समस्याओं और खर्चों से भी मरीज और उसके तीमारदारों को जूझना पड़ता है और यदि मरीज दिहाड़ी मजदूर या छोटा व्यापारी है तो उसके लिए और भी अधिक समस्याएँ उत्पन्न हो जाती है। महिलाओं के रोग संबंधी बीमारियों में तो यह स्थिति और भी जटिल हो जाती है। अधिकतर मामलों में महिलाओं को बीमारी की अंतिम स्थिति में ही बड़े नगरों को ले जाया जाता है या नही भी ले जाया जाता है जिसके दुष्परिणाम महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ते हैं।

स्थानीय क्षेत्र में ही गंभीर बीमारियों का इलाज उपलब्ध होने से न सिर्फ त्वरित इलाज संभव हो सकेगा अपितु अतिरिक्त खर्चों के साथ मरीज को अन्य समस्याओं से भी नहीं जूझना पड़ेगा और विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को लाभ मिल सकेगा। [Hindi] इस हेतु महोबा में एम्स के निर्माण की अत्यधिक आवश्यकता है। एम्स बन जाने से न सिर्फ असाध्य रोगों के उपचार की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। अतःमै लोक कल्याणकारी केंद्र सरकार से यह निवेदन करता हूँ कि कैंसर और अन्य असाध्य रोगों के उपचार के साथ साथ अन्य सभी रोगों के उपचार हेतु महोबा(उ०प्र०) में एम्स का शीघ्रातिशीघ्र निर्माण किया जाए।

(आठ) गंगानगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र अथवा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में

[हिंदी]

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): मेरा संसदीय क्षेत्र जिला श्रीगंगानगर एक सीमावर्ती और कृषि प्रधान जिला है, जहाँ मुख्यत: गेहूं, सरसों, जौ, चना, कपास, किन्नू की फसलें बड़ी मात्रा में होती है, इसलिए श्रीगंगानगर को 'खाद्यान का कटोरा' कहा जाता है। देश के इस सीमावर्ती क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर खेती होने के बावजूद भी आज तक यहाँ भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय स्थापित नहीं हो सका है, जो कि इस कृषि संपन्न जिले के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों की आय को दोगुना करने और कृषि के क्षेत्र में नई तकनीक लाने पर बहुत जोर दे रही है, ताकि किसानों को उनकी फसल का अधिकतम मूल्य मिल सके। इसी कड़ी में मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र गंगानगर में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, ताकि इस क्षेत्र के किसानों को नवीनतम कृषि अनुसंधान का लाभ मिल सके, साथ ही यहाँ के कृषि विद्यार्थियों को कृषि संकाय की उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके।

(नौ) रायगंज टोल प्लाजा पर मीडियाकर्मियों से रियायती दर पर टोल लिए जाने के बारे में

[अनुवाद]

सुश्री देबाश्री चौधरी (रायगंज): मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि रायगंज, पश्चिम बंगाल में स्थापित किए गए नए टोल प्लाजा से नियमित रूप से गुजरने वाले सभी स्थानीय पत्रकारों को रियायत प्रदान की जाए।

(दस) शैक्षिक पाठ्यक्रम में पारंपरिक शिल्प कला को शामिल करने के बारे में

[हिंदी]

श्री विवेक नारायण शेजवलकर (ग्वालियर): सदियों से परपंरागत तौर से अपने विभिन्न उपकरणों, हाथ और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों ने भारत को सदैव गौरवान्वित किया है। भारत की महान संस्कृति पर इनकी कला व कौशल की गहरी छाप है। इस बार बजट में पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना' की शुरूआत की गई है।

इस योजना से ये लोग अपने-अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पहुंच, व संख्या में वृद्धि कर सकते है। वित्तीय सहायता के अलावा उन्नत कौशल प्रशिक्षण, अत्याधुनिक प्रभावशाली व डिजिटल प्रौद्योगिकियों तक इनकी पहुंच होगी। स्थानीय व वैश्विक बाजारों से जुडाव, ब्राण्ड संवर्धन व सामाजिक सुरक्षा की गारंटी सरकार इन्हें देगी। इनके द्वारा तैयार किये जाने वाले उत्पादों से आत्म निर्भर भारत की भावना को बढावा मिलेगा। इन विश्वकर्माओं में अधिकतर लोग अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जन जातियां, ओ.बी.सी. महिलायें व समाज के सभी वर्गों के कमजोर तबके से आते है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर एक बहुत बड़े वर्ग को इस योजना से अपना जीवन स्तर उंचा उठाकर सबके साथ चलने का अवसर प्राप्त होगा। इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

क्या सरकार पारंपरिक शिल्पकला को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल करने पर विचार कर रही है ?

(ग्यारह) पश्चिम बंगाल में मालदा टाउन रेलवे स्टेशन को बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर): मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मालदा टाउन रेलवे स्टेशन अति व्यस्त रेलवे स्टेशन है जहां से प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग यात्रा करते हैं विशेष रूप से इलाज के लिए और अपने अन्य व्यवसाय कार्य हेतु हजारों लोग दिल्ली, बेंगलुरु और दक्षिण भारत के अन्य शहरों की यात्रा करते हैं। मालदा टाउन से होकर इन शहरों को जाने वाली ट्रेने बहुत कम है और जो ट्रेन चलती है उनमें मालदा टाउन का कोटा बहुत कम होने के कारण यात्रियों को कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता है और यात्रा में बहुत कठिनाई होती हैं। इन्हीं तत्वों के दृष्टिगत, माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान निम्नलिखित प्रस्ताव पर आकृष्ट करना चाहता हूं।

मालदा टाउन रेलवे स्टेशन को मॉडल रेलवे स्टेशन की तरह बनाए जाए एवं मालदा रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस (गुवाहाटी से नई दिल्ली) का ठहराव किया जाए। मालदा टाउन से नई दिल्ली और बेंगलुरु के लिए एक सुपरफास्ट ट्रेन चलाई जाए। मालदा टाउन से होकर जाने वाली सभी ट्रेनों में अलग अलग से एक-एक कोच (मालदा टाउन कोटा) लगाए जाए। अगर यह संभव ना हो तो मालदा के लिए अधिकतम संभव कोटा आवंटित किया जाए।

(बारह) देश में 4जी के प्रभावी नेटवर्क के बारे में

श्री रवि किशन (गोरखपुर): मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ। गोरखपुर के दूर दराज के इलाक़ों में आज भी 4जी नेटवर्क उपलब्ध नहीं है जिससे मेरे क्षेत्र के लोगों विशेषकर छात्रों, शिक्षा जगत के लोगों और व्यापार से जुड़े लोगों को अनेक प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले छात्रों को विशेष कठिनाई होती है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी केडिजिटल इंडियाका सपना 4जी की सफलता पर निर्भर करता है और अब 5जीनेटवर्क भी आ गया है। यदि ये नेटवर्क संपूर्ण भारत में ठीक से काम नहीं करेगा तो देश मेंडिजिटल असमानता उत्पन्नहोगी जो देश की प्रगति में बाधक होगी। अतः मैं केंद्र सरकार से माँग करता कि हूँ 4जी नेटवर्क प्रभावी तरीक़े से काम करे और इसके लिए संचार मंत्रालय द्वारा प्रभावी कदम उठाने की अविलंब आवश्यकता है। सूचना क्रांति के इस युग में हमारा जीवन इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन पर पूर्ण रूप से आश्रित हो गया है। अतः राष्ट्रहित में 4जी और 5जी का प्रभावी तरीक़े से काम करना नितांत आवश्यक है और केंद्र सरकार अविलंब ठोस कदम उठाए ताकि यह नेटवर्क निर्बाध गति से काम करे और देश की प्रगति में अपना अमूल्य योगदान दे।

(तेरह) केरल के वडक्कनचेरी में रेलवे अंडरपास के निर्माण के बारे में

[अनुवाद]

कुमारी राम्या हरिदास (अलथूर): मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के एक प्रमुख मुद्दे की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। लगभग 10 साल पहले, वडक्कनचेरी आरओबी का उद्घाटन किया गया था और इसके परिणामस्वरूप वडक्कनचेरी 09(डब्ल्यू.के.आई.) पर बने पुराने रेलवे लेवल क्रॉसिंग को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। लेवल क्रॉसिंग के बंद होने के कारण पुल्लनिक्कड़, मंगलम, एंगक्कड़, पनंगट्टुकरा और कल्लमपारा के 8000 से अधिक निवासियों को अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने निकटतम शहर वडक्कनचेरी तक पहुंचने के लिए लगभग 2 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है।

इस क्षेत्र में, 3 प्राथमिक विद्यालय, चर्चों, मंदिरों और मस्जिदों सहित 6 उपासना स्थल, दो प्रमुख अस्पताल और 5 आंगनवाड़ी स्थित हैं। वडक्कनचेरी शहर में ही अधिकतर प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थाएं, सरकारी कार्यालय और व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्थित हैं। इस क्षेत्र के लोग वडक्कनचेरी शहर पहुंचने के लिए या तो रेलवे ट्रैक को पार करते हैं या लगभग दो किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। पिछले 10 वर्षों के दौरान, इस क्षेत्र में ट्रैक पार करते समय लगभग 50 लोगों की मौत हो चुकी है।

अतः, मैं सरकार से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करती हूँ कि इस समस्या का समाधान किया जाए और लोगों की बेशकीमती जिन्दगियों को बचाने के लिए वडक्कनचेरी के पुराने लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर एक अंडर पास के निर्माण के लिए आवश्यक कदम उठाएं जाएँ।

(चौदह) बेहतर इलाज के लिए यात्री विमानों का उपयोग करने वाले गंभीर रोगियों हेतु विमान किराए की समीक्षा किए जाने के बारे में

श्री कुलदीप राय शर्मा (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह भारत की मुख्यभूमि पर स्थित निकटतम हवाई अड्डे-चेन्नई और कोलकाता से लगभग 1200 कि.मी. दूर स्थित हैं। गंभीर रोगियों की चिकित्सा के मामलों में, यात्री विमान का उपयोग कर उन्हें मुख्यभूमि तक लाया जाना ही एकमात्र विकल्प है और मरीज के परिवार के सदस्यों को, मरीज के परिचारकों की टिकट की लागत के अलावा, एक तरफ से किराये के रूप में रु. 1,32,000 का भुगतान करना पड़ता है। स्ट्रेचर पर निर्भर रोगियों के लिए टिकटों की दर बिना किसी समुचित कारण के लगभग दोगुनी रु. 2,41,000 कर दी गई है। टिकटों की दर में की गई भारी वृद्धि द्वीपवासियों के लिए चिंता का कारण बनी हुई है, जिनमें से अधिकांश स्ट्रेचर पर निर्भर रोगियों के लिए इतनी उच्च दर पर टिकट खरीदने के खर्च को उठा पाने में असमर्थ हैं। आपात चिकित्सा स्थिति के समय स्ट्रेचर पर निर्भर रोगियों से इतनी अधिक राशि वसूल किया जाना अनैतिक है और इतनी बड़ी राशि का भुगतान न किए जाने की स्थिति में रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के स्ट्रेचर पर निर्भर रोगियों के लिए दर तय की थी, जिसके अंतर्गत स्ट्रेचर पर निर्भर रोगी को केवल रु. 29,000 का भुगतान करना पड़ता था जिसे एएनआईआईडीसीओ के माध्यम से जारी किया गया था और वर्ष 2007 में इसे संशोधित किया गया था। मैं सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के सभी स्ट्रेचर निर्भर रोगियों को विशेष रियायत देने और सभी निजी एयरलाइंस कंपनियों को स्ट्रेचर निर्भर रोगियों को चिकित्सा के लिए लाने-ले जाने की अनुमति देने हेतु आवश्यक निदेश जारी करने का अनुरोध करता हूँ क्योंकि वर्तमान में केवल एअर इंडिया ही इन सेवाओं को प्रदान कर रही है।

(पंद्रह) ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति कथित हिंसा के बारे में

एडवोकेट डीन कुरियाकोस (इडुक्की): ईसाई अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर उनके प्रति हिंसा की जा रही है और शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत घृणास्पद भाषणों की घटनाओं के रूप में हुई, लेकिन अब यह स्थिति देश भर में व्यापक रूप से किए जा रहे हमलों में बदल गई है। समुदाय के लोगों को घृणा फैलाने वाले समूहों द्वारा निशाना बनाया जाता है और कई मामलों में, प्रार्थना में व्यवधान उत्पन्न किए जाने, चर्चों को अपवित्र किए जाने, संपत्ति को नुक्सान पहुंचाने और यहां तक कि प्रार्थना करने वालों पर शारीरिक हमले किए जाने के समाचार प्राप्त हो रहे हैं। मात्र अपने धर्म का प्रचार-प्रसार करने के कारण कई उपदेशकों (प्रीचर्स) और पादरियों (प्रीस्ट्स) को कई राज्य सरकारें गिरफ्तार कर रही हैं। इसी महीने गाजियाबाद में एक उपदेशक और उसकी पत्नी की गिरफ्तारी के कारण व्यापक रूप से आक्रोश व्यक्त किया गया है। ऐसे मामलों से संविधान में उल्लिखित धार्मिक स्वतंत्रता और आस्था और उपासना के मूल अधिकार पर विपरीत और भयावह प्रभाव पड़ता है।

वर्ष 2022 के दौरान, दिसंबर, 2022 तक ईसाईयों के खिलाफ हुई हिंसा की कुल 1,198 घटनाओं की जानकारी मिली है। इन सभी मामलों में एक समान पैटर्न देखा गया है। विभिन्न राज्यों में जानकारी में आई लगभग सभी घटनाओं में, धार्मिक कट्टरपंथियों की सक्रिय रूप से निगराने करने वाली भीड़ द्वारा धमकियां दिए जाने, जबरदस्ती किए जाने और आक्रमणकारी रवैया दिखाए जाने का पैटर्न दिखाई देता है। मैं सरकार से तत्काल कार्रवाई करने और ईसाई अल्पसंख्यकों द्वारा अपने धर्म का पालन करने और स्वतंत्र रूप से उसका प्रचार करने के मूल अधिकार की रक्षा करने का आग्रह करता हूँ।

(सोलह) पत्तनों की दक्षता बढ़ाए जाने की आवश्यकता

डॉ. कलानिधि वीरास्वामी (चेन्नई उत्तर):देश में तमिलनाडु समुद्र तट की लंबाई के मामले में तीसरे स्थान पर है और इस राज्य में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा शहरों में रहता है। इस भौगोलिक स्थिति के कारण राज्य में तेजी से औद्योगिकीकरण हुआ है और इसके साथ-साथ वायु और जल के माध्यम से कनेक्टिविटी भी बढ़ी है। तमिलनाडु में तीन प्रमुख पत्तन हैं, जिनमें चेन्नई पत्तन, तूतीकोरिन पत्तन और एन्नोर पत्तन के साथ-साथ कई छोटे पत्तन भी शामिल हैं। चेन्नई पत्तन भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग पत्तन भी है। यह राज्य को व्यापार हेतु एक अनुकूल स्थान बनाता है।

तथापि, इस समय पत्तन कंटेनरों की बड़ी संख्या को ले जाने की क्षमता की गंभीर कमी का सामना कर रहे हैं और यातायात अवरुद्ध हो रहा है। इससे तमिलनाडु में भी पत्तनों के परिचालन की दक्षता में कमी आई है क्योंकि पत्तनों पर अपेक्षित बुनियादी ढांचे की गंभीर कमी है। इसके अलावा, भारतीय पत्तनों पर पोतों से माल उतारने और फिर उसमें माल चढ़ाने में लगने वाला समय बहुत ज्यादा है। यद्यपि पोतों से माल उतारने और फिर उसमें माल चढ़ान में लगने वाले समय में वर्ष 2019-20 में लगने वाले 62.11 घंटों के समय की तुलना में वर्ष 2020-21 में यह समय घटकर 55.99 घंटों का रह गया है लेकिन यह समय अभी भी अनेक दक्षिण-एशियाई देशों में इस कार्य हेतु लिए जाने वाले समय की तुलना में बहुत ज्यादा है, जहां पर इस कार्य हेतु मात्र 48 घंटों का समय लगता है।

इसलिए, मैं पत्तन वाले नगरों और शहरों में होने वाली आर्थिक गतिविधियों के प्रभाव का पुनः उल्लेख करना चाहूंगा, जिनके कारण इन नगरों और शहरों में रहने वाले लोगों को रोजगार के अवसर मिलने के साथ-साथ राज्य और राष्ट्र के घरेलू उत्पाद में वृद्धि भी होती है । अतः, मैं आग्रह करता हूँ कि इस मामले पर गंभीरता से विचार किया जाए।

(सत्रह) पश्चिम बंगाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करने के लिए निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती साजदा अहमद (उलुबेरिया): मैं पश्चिम बंगाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत श्रमिकों को मजदूरी के विलंबित भुगतान की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। वित्तीय वर्ष 21-22 और 22-23 के संबंध में, पश्चिम बंगाल में कुल रु. 7029.00 करोड़ बकाया हैं, जिसमें से रु. 3286 करोड़ मनरेगा के श्रमिकों का बकाया है। मनरेगा अधिनियम में यह अनिवार्य किया गया है कि श्रमिकों द्वारा अपना कार्य पूरा किए जाने के एक पखवाड़े के भीतर वे अपनी मजदूरी का भुगतान प्राप्त करने के हकदार बन जाते हैं। इस प्रावधान का पालन न किए जाने पर श्रमिक मुआवजा पाने के हकदार बन जाते हैं। इस प्रकार, मजदूरी के भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी से सांविधिक प्रावधानों का उल्लंघन होता है। पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री पहले ही केंद्र सरकार से इस मामले का समाधान करने का अनुरोध कर चुकी हैं और इस मामले के संबंध में सात संसद सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से भी मिल चुका है। मजदूरी के भुगतान में देरी नहीं होनी चाहिए और इससे अनावश्यक रूप से मुआवजे के बिल में वृद्धि हो जाती है, फलस्वरूप, केंद्र सरकार पर वित्तीय बोझ पड़ता है जिससे बचा जा सकता है। इस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि मजदूरी प्राप्त करने में देरी होने के किसी भी कारण से श्रमिकों का कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि पश्चिम बंगाल में मनरेगा से जुड़े श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान बिना किसी और देरी के जारी किया जाए।

(अठारह) उच्च शिक्षण संस्थाओं में 'अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. कल्याण एवं शिकायत निवारण समितियों' का गठन किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती अपरूपा पोद्दार (आरामबाग):छात्रों द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले बढ़ रहे हैं और वर्ष 2014-21 के बीच, उच्च शिक्षण संस्थाओं में जानकारी में आए आत्महत्याओं के मामलों की संख्या 122 है। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि आत्महत्या करने वाले 122 छात्रों में से 41 छात्र अन्य पिछड़े वर्ग समुदाय से, 24 अनुसूचित जाति समुदाय से, 4 अनुसूचित जनजाति समुदाय से और 3 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों से हैं। यह मामले में स्थिति प्रमुख संस्थानों जैसे कि आई.आई.टी., एन.आई.टी., आई.आई.एम. और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में और भी बुरी है जो कि वंचित समुदायों से आने वाले छात्रों के लिए प्रमुख रूप से खतरनाक स्थान बन गए हैं।

यह तथ्य इस वास्तविकता को प्रकट करता है कि वंचित समुदायों के अधिकारों की गारंटी के लिए केवल आरक्षण ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन इस समय व्यापक रूप से मनोवैज्ञानिक प्रयास किए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। अतः मैं सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और अधिक अमूल्य जीवन की क्षति होने से पहले उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्था में तत्काल 'अजा/अजजा/अपिव कल्याण और शिकायत निवारण समितियों' की स्थापना किए जाने का अनुरोध करती हूँ।

(उन्नीस) आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में स्थित ओंगोले में एक ई.सी.एच.एस. रेफरल अस्पताल को स्वीकृति दिए जाने के बारे में

श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी (ओंगोले): मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 13105 पूर्व सैनिक और लगभग 20,000 सेवारत कर्मी रहते हैं। इस प्रकाशम जिले में उनके अधिकांश आश्रित लोग रह रहे हैं। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक पूर्व सैनिक मेरे जिले में रहते हैं। गिद्दलुर नगर छह मंडलों वाले मार्कापूर डिवीजन का हिस्सा है और ज्यादातर पूर्व सैनिक इस क्षेत्र में रहते हैं। गिद्दलुर, जिला मुख्यालय से 145 कि.मी. दूर स्थित है। एक छोटा नगर होने के कारण गिद्दलुर में कोई पैनलबद्ध अस्पताल नहीं है।

जिला कलेक्टर भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना(ई.सी.एच.) के लिए 37 सेंट्स भूमि स्वीकृत करने के लिए तैयार है। भूमि के संबंध में जांच-पड़ताल मंडल राजस्व अधिकारी (एम.आर.ओ.) और राजस्व मंडल कार्यालय (आर.डी.ओ.) द्वारा की जा चुकी है और ये ई.सी.एच.एस. केंद्र के लिए पर्नामिट्टा के सर्वेक्षण संख्या 441/3 के तहत साइट प्रदान करने के लिए एन.ओ.सी. प्रदान करते हैं। यूनिट रन कैंटीन (यू.आर.सी.) के सामने जल्द ही ई.सी.एच.एस. रेफरल अस्पताल खोलने के लिए एक उपयुक्त इमारत उपलब्ध है।

मुझे दिए गए आंकड़ों के अनुसार, इस क्षेत्र में ई.सी.एच.एस. सुविधाओं की कमी के कारण लगभग 158 पूर्व सैनिकों की मृत्यु हो चुकी है।

मैं माननीय रक्षा मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि कृपया प्राथमिकता के आधार पर ओंगोल में एक ई.सी.एच.एस. रेफरल अस्पताल को स्वीकृति प्रदान करें क्योंकि यह प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के पास विचाराधीन है।

(बीस) पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील तटीय क्षेत्रों के संरक्षण के बारे में

श्री बेल्लाना चन्द्र शेखर (विज़यानगरम): विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रतिवेदन के अनुसार, विश्व में भारत कुछ ऐसे देशों में से एक देश है जहां समुद्र के स्तर में वृद्धि का सबसे बड़ा खतरा विद्यमान है। समुद्र का स्तर बढ़ने से तटीय पारिस्थितिकीय तंत्र और पारिस्थितिकीय तंत्र सेवाओं को नुकसान पहुँचने के साथ-साथ भूजल लवणता और बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाता है, जिससे इन क्षेत्रों में जान-माल और संपत्ति का भारी नुकसान होता है। वर्तमान में इस खतरे को आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों देखा जा रहा है, भारत में इसके समुद्र तट की लंबाई दूसरे स्थान पर है, और जोखिम प्रबंधन फर्म आर.एम.एस.आई. के अनुसार, वर्ष 2050 तक विशाखापत्तनम जैसे तटीय शहरों में कई भवन और सड़क नेटवर्क के डूबने का खतरा है। इसलिए, जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए आपदारोधी क्षमताओं को बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय नीतियों के साथ राज्य के प्रयासों को जोड़ते हुए और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग जैसी राष्ट्रीय परियोजनाओं में निवेश करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसा कि नीति आयोग की प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है, क्योंकि इस तरह की प्रौद्योगिकी को बाढ़ और चक्रवात जैसी प्रमुख आपदाओं के संबंध में समय पर की जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील तटीय क्षेत्रों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए इस दिशा में उचित कदम उठाए।

(इक्कीस) एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. (मनरेगा योजना) के अंतर्गत मजदूरी और कार्य दिवस बढ़ाए जाने की आवश्यकता

[हिंदी]

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): मैं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी का ध्यान मनरेगा में मजदूरों की मजदूरी एवं काम का दिन बढ़ाने के साथ ही लम्बित राशि का भुगतान अविलम्ब कराने के लिए आकृष्ट करना चाहता हूँ। देश में कोरोनाकाल के समय से ही मजदूरों का ग्रामीण इलाकों में जीविका का एकमात्र यही साधन रह गया है। कोरोनाकाल में तो मनरेगा में मजदूरों को सही रूप से काम मिल रहा था, किन्तु अब करीब एक वर्ष से औसतन 28 से 30 दिन ही काम दिया जा रहा है। इस मंहगाई में उनका गुजारा नहीं हो रहा है। ऊपर से, केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को मनरेगा की राशि में भुगतान नहीं किया जा रहा है। राज्यों का साल दर साल बकाया बाधित है। आंकड़े बताते हैं कि बिहार राज्य देश में सर्वाधिक भूमिहीन श्रमिकों वाला राज्य है। यह संख्या करीब 88.61 लाख है। इनको मनरेगा के तहत लगातार 100 दिनों का काम गारंटी के साथ मिलना चाहिए, किन्तु वित्तीय अभाव के कारण औसतन 28 दिनों का ही काम मिल रहा है। साथ ही, बिहार में मनरेगा के तहत हरियाणा की तरह ही 300 रूपये से अधिक की मजदूरी तय करने की आवश्यकता है। अभी बिहार में मात्र 12 रूपये की बढ़ोतरी हुई है। पहले 198 रूपये तय था और मई, 2022 से 212 रूपये मिलना प्रारम्भ हुआ है। अन्य राज्यों में केन्द्र सरकार ने 7 प्रतिशत की वृद्धि की है। बिहार सरकार लगातार केन्द्र सरकार से आग्रह करती आ रही है कि मनरेगा मजदूरी बढ़ाई जाये और लम्बित राशि लगभग 1900 करोड़ रूपये का भुगतान किया जाये। यह माँग अविलम्ब स्वीकार होनी चाहिए साथ ही सभी मजदूरो को 100 दिनों का काम सुनिश्चित होना चाहिए।

(बाईस) एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. (मनरेगा योजना) के अंतर्गत गारंटीकृत मजदूरी रोजगार में वृद्धि किए जाने के बारे में

[अनुवाद]

श्री के. नवासखनी (रामनाथपुरम): मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. (मनरेगा योजना) के तहत कार्य दिवसों की संख्या वर्तमान 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन कर दी जाए। इस संबंध में, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पहले ही माननीय प्रधान मंत्री के समक्ष एक प्रस्ताव रख चुके हैं। अधिकांश भूमिहीन ग्रामीण पूरी तरह से इसी आय पर निर्भर हैं और इस योजना से मुख्य रूप से बड़ी संख्या में महिलाएं लाभान्वित होती हैं।

इसलिए, मैं केंद्र सरकार से कार्य दिवसों की संख्या को बढ़ाकर 150 दिन करने का अनुरोध करता हूं इसके साथ ही काफी लंबे समय से मजदूरी में वृद्धि किए जाने की मांग भी की जा रही है। इसलिए वर्तमान आर्थिक स्थितियों और जीवनयापन की लागत को देखते हुए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि कार्य दिवसों की संख्या को बढ़ाए जाने के साथ-साथ मजदूरी को भी बढ़ाया जाए।

इसके अलावा, सभी स्तरों पर इस योजना का प्रबंधन कुशलतापूर्वक नहीं किया जाता है। नदी तलों के अलवणीकरण/प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा को हटाने आदि जैसे सभी स्तरों पर परियोजनाओं के विनिर्दिष्ट रूप से समयबद्ध निष्पादन के लिए नियमों और प्रक्रियाओं के साथ-साथ एक नीतिगत ढांचा भी होना चाहिए।

(तेईस) माल और सेवा कर के अंतर्गत वार्षिक विवरणी दाखिल करने के बारे में

श्री जयदेव गल्ला (गुंटूर): माल और सेवा कर के उद्देश्य, जैसे अप्रत्यक्ष करों का व्यापक प्रभाव; एक समान कराधान; अनुपालना के संबंध में अनेक प्रकार के दस्तावेजों में कमी; कर प्रशासन को आसान बनाना, कर दायरे का विस्तार करना आदि, प्राप्त किए गए हैं। लेकिन, माल और सेवा कर के तहत पंजीकृत व्यक्ति महामारी और अन्य प्रतिबंधों के कारण समयसीमा के भीतर अपनी माल और सेवा कर संबंधी वार्षिक विवरणी/अंतिम विवरणी दाखिल नहीं कर पाएं हैं। ऐसी समस्याओं को देखते हुए, भारत सरकार ने जी.एस.टी.आर.-3क और जी.एस.टी.आर.-1 दाखिल करने के संबंध में विलंबित भुगतानों के लिए विलंब शुल्क माफ/ब्याज दर कम करके लोगों को राहत प्रदान की है। तथापि, जी.एस.टी.आर.-9 और जी.एस.टी.आर.-9ग के अंतर्गत ऐसी कोई राहत नहीं दी गई है। वित्त विधेयक, 2023 के खंड 134 में प्रस्तावित है कि पंजीकृत व्यक्ति को नियत तिथि से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 44(1) के अंतर्गत वार्षिक विवरणी दाखिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परंतु, 134 के प्रावधान में कहा गया है कि जीएसटी परिषद 44(1) के अंतर्गत छूट दे सकती है और साथ ही वार्षिक विवरणी दाखिल करने की अनुमति भी दे सकती है। अतः, मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि इस वास्तविक मुद्दे पर ध्यान दें और जी.एस.टी. के तहत पंजीकृत व्यक्तियों हेतु सकारात्मक समाधान प्रदान करने के लिए इसे जीएसटी परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(चौबीस) बी.एस.एन.एल. कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन किए जाने के बारे में

श्री पी.आर. नटराजन (कोयम्बटूर): जब 01.10.2000 में बी.एस.एन.एल. का गठन किया गया था, तो दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों को इस आश्वासन के साथ इस नए निकाय में स्थानांतरित किया गया था कि उनकी पेंशन का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। इसे सुनिश्चित करने के लिए सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 में आवश्यक संशोधन भी किया गया था। तदनुसार आमेलित कर्मचारियों को औद्योगिक महंगाई भत्ता (आई.डी.ए.) वेतनमानों पर वेतन और पेंशन दी जा रही है। अंतिम बार पेंशन में संशोधन 01.01.2007 में किया गया था। 01.01.2007 से 30% फिटमेंट के साथ, जो कि दूसरी वेतन समीक्षा समिति द्वारा सिफारिश किया गया अधिकतम फिटमेंट है, पिछली बार पेंशन संशोधित की गई थी। इसलिए अगला पेंशन संशोधन 01.01.2007 में तीसरी वेतन समीक्षा समिति द्वारा सिफारिश किए गए 15 प्रतिशत फिटमेंट के साथ किया जाना था। इसलिए अगला पेंशन संशोधन 01.01.2017 में तीसरी वेतन समीक्षा समिति द्वारा सिफारिश किए गए 15 प्रतिशत फिटमेंट के साथ किया जाना था। दुर्भाग्यवश, शुरुआत में सरकार ने यह निर्णय लिया था कि बी.एस.एन.एल कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा किए जाने के बाद ही पेंशन में संशोधन किया जाना संभव हो पाएगा और तीसरी वेतन समीक्षा समिति (पी.आर.सी.) द्वारा विहित की गई वहनीयता की शर्त के कारण वेतन को संशोधित करने में देरी हो रही है। पेंशन में संशोधन किया जाना और बी.एस.एन.एल. कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा किए जाने के बीच कोई संबंध नहीं है क्योंकि पेंशन सरकार द्वारा दी जाती है और वर्ष 2016 में 60:40 की शर्त को रद्द किए जाने के बाद पेंशन देने का पूरा दायित्व सरकार का है। आमेलित बी.एस.एन.एल. पेंशनभोगियों की संयुक्त सेवा के लिए सरकार को पेंशन अंशदान का भुगतान उनके अधिकतम वेतनमान पर किया गया है, जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों से पेंशन अंशदान केवल वास्तविक वेतन के अनुसार जमा किया जा रहा है। इसके अलावा, उनके समकक्षों, केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के संबंध में 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 01.01.2016 से पेंशन में संशोधन किया गया था। इस प्रकार बीएसएनएल के गठन के समय, आमेलित बी.एस.एन.एल. कर्मचारियों को दिए गए बेहतर भविष्य के आश्वासन का उल्लंघन किया गया है। अब ऐसा माना जा रहा है कि दूरसंचार विभाग ने वेतन की समीक्षा किए जाने से पेंशन

में संशोधन किए जाने को अलग करने का निर्णय लिया है। लेकिन फिटमेंट घटक पर कोई निर्णय नहीं लिए जाने के कारण इस मुद्दे में और देरी हो रही है। उपरोक्त तथ्यों के कारण, आमेलित बी.एस.एन.एल. पेंशनभोगियो द्वारा पेंशन संशोधन के रूप में 15% फिटमेंट प्राप्त किया जाना पूरी तरह से उचित हैं। इसलिए, माननीय संचार मंत्री जी के द्वारा तत्काल हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता है ताकि काफी समय से लंबित इस मुद्दे का जल्द से जल्द निपटान किया जा सके क्योंकि हज़ारों पेंशनभोगियों की मृत्यु यह लाभ प्राप्त करने से पहले ही हो चुकी है। 01.01.2017 से पेंशन का शीघ्र संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

[हिंदी]

माननीय सभापति : मुझे जितनी जानकारी है, हाउस में पेपर्स लाने की अनुमति है, प्लेकार्ड्स की नहीं। माननीय मंत्री जी।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): माननीय अध्यक्ष महोदय ने बहुत ही स्पष्ट रूप से निदेश दिए हैं।

...(व्यवधान)

[हिंदी]

माननीय स्पीकर साहब ने डायरेक्शन दिया है कि प्लेकार्ड्स, तखितयां लाकर प्रदर्शन नहीं करना है। ... (व्यवधान) इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि आज जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है और सारी दुनिया के डायस्पोरों से हमें फोन आ रहे हैं कि इस सदन के एक नेता और सदस्य श्री राहुल गांधी भारत का अपमान कर रहे हैं। ... (व्यवधान) [अनुवाद] उन्होंने माननीय अध्यक्ष महोदय पर आक्षेप लगाए हैं। *... (व्यवधान)*

[हिंदी] स्पीकर के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाया है। ... (व्यवधान) इतना ही नहीं [अनुवाद] "हमारे माइक खराब नहीं हैं; वे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उन्हें ऑन नहीं कर सकते।" [हिंदी] यह क्या आरोप है? ... (व्यवधान) यह डायरेक्टली स्पीकर पर और इंस्टिट्यूशन पर आरोप है। इन्होंने बाहर जाकर कहा है कि [अनुवाद] यह संसद के अपमान की पराकाष्ठा है, महोदय। [हिंदी] यह करते हुए ये लोग इधर तख्तियां लेकर अंदर आते हैं। ... (व्यवधान) उन्होंने इतना ही नहीं कहा है, [अनुवाद] जो सांसद, संसद के बाहर खड़े हैं [हिंदी] उनको भी अरेस्ट किया गया है। कहां अरेस्ट हुए हैं? ये झूठा आरोप दुनिया में और

बाकी देशों में जाकर लगाते हैं।... (व्यवधान) भारत एक सॉवरेन कंट्री है। बाकी देशों द्वारा इंटरवीन करना भारत के लिए घोर अपमान है। ... (व्यवधान) ऐसा करते हुए ये माफी मांगने के बजाए तख्तियां लेकर आ रहे हैं। तख्तियां लेकर आने वाले सदस्यों पर एक्शन होना चाहिए, यह हमारी डिमांड है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 16 मार्च, 2023 को प्रात: ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>अपराह्न 2.11 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा, गुरुवार, 16 मार्च, 2023 / 25 फाल्गुन, 1944 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2023 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित